राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान जयपुर
स्वास्थ्य भवन ,सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक–एच /एफएसएसए/एफ–4/2013/ दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,सेवायें,जोन–राजस्थान,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,
राजस्थान ।

::परिपत्र::

विषय :– **दीपावली के अवसर पर दिनांक 14.10.2013 से 5.11.2013 तक विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो के नमूनीकरण बाबत ।**

दीपावली त्यौहार पर खाद्य पदार्थो की मांग / खपत बढने के कारण खाद्य पदार्थों में सम्भावित मिलावट को ध्यान में रखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अंकुश/नियंत्रण हेतु सम्भाग /जिलों मे विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2013 से 5.11.2013 तक विशेष अभियान के तहत कार्यवाही हेतु एक संयुक्त दल का गठन किया जावे जिसमें एक विभागीय अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन मय वाहन चालक रखा जावे । अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पेपर स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावें । जिलें/सम्भाग में गठित दल को प्रतिदिन 8 से 10 प्रतिष्ठानो का निरीक्षण व 4 नमूने लेने का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है तथा संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अलवर/भरतपुर /धौलपुर में निर्धारित लक्ष्य से अधिक नमूने प्रतिदिन लिया जाना सुनिश्चित करें जिसकी पूर्ति प्रतिदिन सुनिश्चित की जावे व रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से सायंकाल तक अथवा अगले दिवस प्रातः 11 बजे तक निदेशालय के फैक्स नम्बर 0141–2224831 एवं ईमेल fssa.2006@yahoo.com पर आगे वर्णित प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन समीक्षा कर लक्ष्य पूर्ति ना करने वाले दल के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। साथ ही अभियान में निम्न कार्यवाही सनिश्चित की जावे:–

1. अभियान में दूध,मावा व मावे से निर्मित मिठाई,पनीर के निर्माण व बिकी स्थलों की विशेष रूप से जांच कर नमूनीकरण की कार्यवाही की जावे। किसी भी प्रतिष्ठान पर मिलावटी/दूषित/कृत्रिम घी, वनस्पति,तेल,मावा,दूध,पनीर,दूध व दूध से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थ ड्राईफ्रूट्स, मसाले, आटा,आईसकीम,चाय लोकल टॉफिया,बिस्कुट,सुपारी,अचार इत्यादि पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूनीकरण की कार्यवाही कर शेष सामग्री स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाली पायी जाने पर उसे नष्ट करवाने के साथ–साथ सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म के विरूद्व फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट–2006 के तहत कार्यवाही की जावे।

2. जिले में अन्य स्थानों से बिकी हेतु आने वाले घी,मावा,पनीर एवं दूध आदि की विशेष निगरानी रखी जावे। किसी भी क्षेत्र में मिलावटी घी,दूध,मावा अथवा पनीर विक्रय होते हुए पाये जाने पर क्षेत्र में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ–साथ अभिहित अधिकारी के विरूद्व भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3. .बाजार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन कर निर्माता/उत्पादकों द्वारा बिना दिनांक अंकित किये खाद्य पदार्थ बेचते हुए पाये जाने पर उनके द्वारा किये जा रहे नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए ऐसे खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु लिए जावें । इस प्रकार की सामग्री बाजार में जांच के दौरान बिकते हुए पाये जाने पर क्षेत्र में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ अभिहित अधिकारी के विरूद्व भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रतिष्ठित तथा अच्छे स्तर की कम्पनियों के नाम से बाजार में डुप्लीकेट खाद्य सामग्री बेचे जाने की जानकारी प्राप्त होने पर उसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत नमूना जांच हेतु लेकर सम्बन्धित सामग्री को सीज कर व्यापारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

5. देखा गया है कि राज्य में माईल्ड फैट/मीक फैट/सोफ्ट फैट/प्रीमियम फैट/लाईट फैट/बेलेंस फैट/पूजा फैट आदि नाम से प्रोपरायटरी फूड का निर्माण व विक्रय किया जा रहा है,जिसको रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी भी जिले में उक्त प्रकार के खाद्य पदार्थ का निर्माण/विक्रय पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उस जिले के अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी की होगी तथा उनके विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

6. मिठाईयों की दुकान/रेस्टोरेंट के बाहर फास्ट फूड सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की एवं स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

7. यह भी ध्यान में आया है कि एक्ट में प्रतिबन्धित होने के बावजूद खुले पिसे हुए मसालों की बिक्री होती है,अतः सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी खुले में बिक्री किये जा रहे पिसे हुए मसालों पर प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही करें तथा उक्त मसालों में मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार नमूनीकरण की कार्यवाही भी की जावे।

8. अभिहीत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि मिलावट की रोकथाम हेतु गठित दल संभाग/जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर नमूनीकरण का कार्य सम्पन्न करायेंगे। तथा गठित दल को निर्देशित किया जावे कि विशेष परिस्थितियों को छोडकर एक प्रतिष्ठान से दो से अधिक नमूने नहीं लिए जावेंगे तथा प्रत्येक दिन हेतु गठित
दल का पूर्ण विवरण(मय नाम व पद) से निदेशालय को आज ही अवगत कराना सुनिश्चित करावें।

प्रपत्र नमुनीकरण

दिनांकः–

क्र0 सं0	एक्ट के अर्न्तगत लिये गये नमूने का विवरण	संस्थान का नाम व पूर्ण पता जहाँ से नमूना लिया गया है	नमूना लिये जाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	नष्ट करवाये गये /सीज किये गये माल का विवरण	खाद्य पदार्थ का नाम	विशेष विवरण

प्रपत्र निरीक्षण

दिनांकः–

क्र0 सं0	निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	निरीक्षण किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	निरीक्षण मे पाई गई कमी का विवरण	विशेष विवरण

आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एच /एफएसएसए/एफ–4/2013/ 566 दिनांकः– 10/10/13

प्रतिलिपि निम्न सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. निजी सचिव ,माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव , माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री / राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर ।
3. निजी सचिव ,पुलिस महानिरीक्षक,राजस्थान , जयपुर ।
4. निजी सचिव , प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर ।
5. समस्त,,जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.),चिकित्सा एवं सेवायें ,राज. जयपुर ।
7. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , राज0जयपुर ।
8. निजी सहायक ,निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय
9. प्रभारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,केन्द्रीय दल, मुख्यालय ।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय

आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर